फर्द अहकाम

नारायण **बनाम** ओमप्रकाश

नाम न्यायालय

केस संख्या 33/2019 वाद

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	19/11/20	वकील वादी उप० पत्रावली पेश आदेशानुसार दिनांक 26/11/2020 को पेश हो।	
	26/11/20	व० वादी उपस्थित। पत्रावली पेश आदेशानुसार दिनांक 21/12/2020 को पेश हो।	
	21/12/20	वकीलों द्वारा आज कण्डोलैस/कार्य स्थगित रखे जाने से पत्रावली पेश आज्ञानुसार दिनांक 30/12/20 को पेश हो।	
	30/12/20	वकीलों द्वारा आज कण्डोलैस/कार्य स्थगित रखे जाने से पत्रावली पेश आज्ञानुसार दिनांक 04/01/21 को पेश हो।	
	04/01/21	व० वादी उपस्थित पुनः बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते अवलोकन व आदेश दिनांक 22/01/21 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूँ (जयपुर)	
	22/01/21	व० वादी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। वादी का वाद खारिज किया जाता है। निर्णय [illegible] लिखा जाकर शा० पि० [illegible] डिक्री जारी हो। शा० [illegible] पत्रावली शुमार होकर दर्ज नम्बर [illegible] कम हो एवं दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूँ (जयपुर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.02.09 12:06:39 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमा सं0–33/2019
उनवान– नारायण बनाम रुघाराम
निर्णय दिनांक– 22.01.2021

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी –:सुश्री सीमा शर्मा (R.A.S.)

विशेष विवरण

मुकदमा नं0:–33/2019

उनवान

नारायण पुत्र रुघाराम जाति माली, निवासी ग्राम हाडोता तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
–वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र झूंथाराम
2. बजरंगलाल पुत्र झूंथाराम
3. सुभाष पुत्र झूंथाराम
4. सीताराम पुत्र झूंथाराम
5. घीसालाल पुत्र झूंथाराम
6. रुडमल पुत्र देवाराम
   समस्त जाति माली, निवासी ग्राम हाडोता, तहसील चौमूं, जिला–जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत राजस्व रिकॉर्ड नक्शा दुरुस्ती, घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 89बी एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व 89 एल.आर. एक्ट

निर्णय

दिनांक :– 22.01.2021

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वादी ग्राम हाडोता, तहसील चौमं जिला जयपुर का रहने वाला काश्तकार पेश व्यक्ति है। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम हाडोता, पटवार हल्का हाडोता, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित है जिसके आराजी खसरा नम्बर 1927/1 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1942/1 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1944/1 रकबा 0.03 हैक्टेयर कुल किता 3 का कुल रकबा 0.11 हैक्टेयर स्थित है जिसमें वादी का खातेदारी हिस्सा 1/3 भाग दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी उक्त वर्णित कृषि भूमि में खसरा नम्बर 1942/1 रकबा 0.03 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 रास्ता जो साबिक खसरा नम्बर 513/4 से बना हुआ है, प्रस्तुत वाद में खसरा नम्बर 1942/1 रकबा 0.03 हैक्टेयर विवादग्रस्त है।

साबिक खसरा नम्बर 513/4 पर [illegible] ता 6 पूर्वजों के समय से ही काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते [illegible] आ [illegible] है तथा [illegible] भूमि का उपयोग उपभोग कृषि कार्य में ही किया ज[illegible] [illegible] 3/4 के वर्तमान खसरा नम्बर 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1927 ब[illegible]। इस भूमि में से नेशनल हाईवे निकलने से कुछ भूमि सडक में चली जाने से खसरा नम्बर 1942 के शेष बट्टा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.02.09 12:06:39 IST
Reason: SelfAttested

1942/1 रकबा 0.03 हैक्टेयर भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 की खातेदारी में दर्ज है जो किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1942/1 रकबा 0.03 हैक्टेयर की भूमि हमेशा पूर्वजों के समय से ही काश्त के रुप में काम आती रही है तथा भूमि में अलग अलग समय पर अलग–अलग फसल बोई जाती रही है कभी भी इस भूमि का उपयोग रास्ते के रुप में नहीं रहा है परन्तु दौराने सेटलमेन्ट राजस्व कार कानूनो द्वारा बिना खातेदारों की सहमति व स्वीकृति राजस्व रिकॉर्ड नक्शा में खसरा नम्बर 1942 व हाल खसरा नम्बर 1942/1 को रास्ते के रुप में इन्द्राज कर दिया व किस्म भी गै0मु0 रास्ता दर्ज कर दी गई जबकि कभी भी इस भूमि का उपयोग उपभोग रास्ते के रुप में नहीं किया गया है बल्कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 की खातेदारी भूमि का उपयोग उपभोग शामलाती रुप से कृषि कार्य में होता रहा है।

वादी द्वारा साबिक नक्शा खसरा नम्बर 513/4 के रिकॉर्ड के मुताबिक नये नक्शे व रिकॉर्ड में खसरा नम्बर 1942/1 को नक्शे में रास्ता व रिकॉर्ड में किस्म गै0मु0 रास्ता गलत तरीके से दर्ज कर देने पर इसे दुरुस्त करने के लिए प्रतिवादीगण संख्या 7 के यहां पर कई मर्तबा आवेदन प्रस्तुत किये तथा इस सम्बन्ध में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को भी अवगत करवाया परन्तु उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की।

दिनांक 14.08.2019 को भी वादी द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 7 के यहां पर नया व पुराना नक्शे के आधार पर रिकॉर्ड को दुरुसत करने के सम्बन्ध में आवेदन किया गया परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा स्पष्ट रुप से इन्कार करते हुए सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु कहा गया जिस कारण वादी द्वारा न्यायालय के समक्ष उक्त वाद पत्र पेश करना लाजमी आया है।

वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निम्न अनुतोष चाहा है कि बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण दुरुस्ती, घोषणा का डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 7 को पाबन्द किया जावें कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के नाम से दर्ज हाल रिकॉर्ड खसरा नम्बर 1942/1 रकबा 0.03 हैक्टेयर किस्म गै0 मु0 रास्ता को दुरुस्त की जाकर रिकॉर्ड में चाही–2 अंकित की जावें तथा राजस्व नक्शा में खसरा नम्बर 1942/1 को रास्ते के रुप में गलत तरीके से दौराने सेटलमेन्ट दर्ज कर दिया हैं, जिसको दुरुस्त की जाकर पूर्व नक्शे अनुसार बनाया जावें इस प्रकार की घोषणा की जावें।

वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटि के आधार पर प्रतिवादी संख्या 7 वादी के उपयोग उपभोग में कृषि कार्य में किसी प्रकार की दखलन्दाजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.02.09 12:06:39 IST
Reason: SelfAttested

उत्पन्न नहीं करे, ना ही प्रतिवादीगण [illegible] व्यवधान उत्पन्न नहीं करे, पूर्व की भांति वादी के कब्जे [illegible] में कोई [illegible] तो स्वयं करे, ना ही अपने किसी एजेन्ट, [illegible] के जरिये करवायें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण को [illegible] किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से अभिभाषक ने उपस्थित होकर वाद पत्र को स्वीकार करते हुए एकबालिया जबाव पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। तथा वादी ने प्रतिवादीगण से वादग्रस्त आराजीयात के सम्बन्ध में एक हक त्याग पत्र दिनांकित 03.02.2020 पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य में शपथ पत्र पेश कर राजस्व रिकार्ड पर प्रदर्श एक [illegible] अंकित करवाये गये है। जो शामिल पत्रावली है। तहसीलदार चौमू से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार चौमू ने [illegible] प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट (दिनांक 12.02.2020) मय रिकार्ड में कथन किया कि [illegible] के आराजी खसरा नम्बर 1942/1 रकबा 0.03 हैक्टेयर [illegible] मुताबिक [illegible] रिकॉर्ड है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल गत खसरा नम्बर 513/4 [illegible] रकबा 0.04 हैक्टेयर था जिसका हाल नम्बर 1942 रकबा 0.04 मिलान क्षेत्रफल में दर्ज है। [illegible] 0.01 हैक्टेयर गै0मु0 सडक में भूतल परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली, भारत सरकार के नाम हस्तान्तरित होने के पश्चात खसरा नम्बर 1942/2 रकबा 0.01 है0 [illegible] नम्बर 1942/1 रकबा 0.03 हैक्टेयर की खातेदारी [illegible] पुत्र [illegible] राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जमाबन्दी व नक्शा [illegible] 2037 से 0240 में गत खसरा नम्बर 513/4 रकबा 08 बीघा [illegible] है। जबकि मिलान क्षेत्रफल में गत खसरा नम्बर 513/4 [illegible] है। हाल खसरा नम्बर 1942 का रकबा भी 0.04 हैक्टेयर दर्ज है। [illegible] 513/4 [illegible] नम्बर के कई खसरा नम्बर बन गये है। [illegible]

[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.02.09 12:06:39 IST
Reason: SelfAttested

जमाबन्दी संवत् 2037 से 2040 में गत खसरा नम्बर 513/4 रकबा 08 बीघा 05 बिस्वा किस्म बारानी–2 दर्ज है। जबकि मिलान क्षेत्रफल में गत खसरा नम्बर 513/4 रकबा 0.04 हैक्टेयर दर्ज है। हाल खसरा नम्बर 1942 का रकबा भी 0.04 हैक्टेयर दर्ज है। जिसका कारण 513/4 गत मिन नम्बरों के कई खसरा नम्बर बन गये है। मौके पर वर्तमान में रास्ता नहीं है। उक्त खसरा नम्बर पर खातेदार के स्वंय के आवास तक आने–जाने हेतु पगडण्डी थी, कोई सार्वजनिक रास्ता नहीं रहा है। खातेदार के अपने आवास तक आने–जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता है, जो वर्तमान में चालू है।

हमने प्रकरण में उभयपक्षो की बहस सुनी तथा उपलब्ध दस्तावेजान का अवलोकन किया। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार चौमूं के अनुसार विवादित भूमि वाके ग्राम हाडोता, पटवार हल्का हाडोता, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 1942/1 की किस्म गै0मु0 रास्ता है जो मौके पर रास्ते के रुप में चालू रहा है। जिस कारण ही विवादित भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की गई है ऐसे में गै0मु0 रास्ता की किस्म के चाही–2 में दुरुस्त नहीं किया जा सकता है अतः वादी का वाद दुरुस्त नहीं किये जाने योग्य होने से खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(... शर्मा R.A.S.)
...चौमू

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.02.09 12:06:39 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी –:सुश्री सीमा शर्मा (R.A.S.)

उनवान

नारायण पुत्र रुघाराम जाति माली, निवासी ग्राम हाडोता तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र झूंथाराम
2. बजरंगलाल पुत्र झूंथाराम
3. सुभाष पुत्र झूंथाराम
4. सीताराम पुत्र झूंथाराम
5. घीसालाल पुत्र झूंथाराम
6. रुडमल पुत्र दे[illegible]
   समस्त जाति [illegible] ग्राम हाडोता, तहसील चौमूं, जिला–जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.02.09 12:06:39 IST
Reason: SelfAttested

दावा बाबत राजस्व रिकॉर्ड नक्शा दुरुस्ती, घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 89[illegible] एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व 89 एल.आर. एक्ट

निर्णय दिनांक:– 22.01.2021

मुकदमा नं0:–33 / 2019

वादी / प्रतिवादीगण के अधिवक्ता व वादी स्वयं की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 22.01.2021 को पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा शर्मा (R.A.S.)के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:–

वाके ग्राम हाडोता, पटवार हल्का हाडौता, भू0अ0नि0 क्षेत्र उदयपुरिया, तहसील चौमूं में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1942 / 1 की किस्म गै0मु0 रास्ता है जो मौके पर रास्ते के रुप में चालू रहा है। जिस कारण ही विवादित भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की गई है ऐसे में गै0मु0 रास्ता की किस्म के चाही–2 में दुरुस्त नहीं किया जा सकता है अतः वादी का वाद दुरुस्त नहीं किये जाने योग्य होने से खारिज किया जाता है।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 22.01.2021 को जारी किया गया ।

मोहर

(सीमा शर्मा R.A.S.)
पीठासीन अधिकारी
सहायक कलेक्टर (फा0ट्रै0)चौमूँ

मुकदमा सं0–33/2019
उनवान– नारायण बनाम रुघाराम
निर्णय दिनांक– 22.01.2021

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.वाद पत्र के लिये स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प 3.प्रदर्शो के लिये स्टाम्प 4......रूपये पर प्लीडर कह फीस 5.साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय 6.कमिशनर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	2 1	1.शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प 2.अर्जी के लिये स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय 5.कमिशनर की फीस 6.आदेशिका की तामिल	2
जोड	3	जोड	2

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूँ (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.02.09 12:06:39 IST
Reason: SelfAttested